बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

–:अधिसूचना:–

पटना, दिनांक–

श्री वरूण कुमार सिकदार, तत्कालीन वाणिज्य–कर उपायुक्त, बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उनके बिहारशरीफ अंचल में पदस्थापन काल के दौरान विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में विशेष निगरानी इकाई थाना काण्ड संख्या–02/16 दिनांक–17.12.16 धारा–13(2) सह–पठित धारा–13(1)(ई) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

विशेष निगरानी इकाई द्वारा अपने पत्रांक–1620/अनु0/सा0शा0 दिनांक–17.12.2016 के माध्यम से श्री सिकदार के विरूद्ध दर्ज उक्त थाना कांड की सूचना प्रतिवेदित किया गया जिसमें उनके एवं उनकी पत्नी की कुल आय रू० 1,12,82,000.00/– के विरूद्ध कुल खर्च रू० 72,12,124.00/– एवं बचत रू0 84,86,039.00/– आकलित करते हुये रू0 44,16,163.00/– की आय से अधिक सम्पति अर्जित करने एवं पुनः इकाई के पत्रांक–13/02/2016/SVU/PAT दिनांक–16.01.2017 द्वारा श्री सिकदार के विरूद्ध अपने वार्षिक सम्पत्ति विवरणी में रू० 34,15,500.00/– का एक फ्लैट एवं रू० 7,05,000.00/– का एक कार का विवरण अंकित नहीं करने संबंधी आरोप का मामला प्रतिवेदित किया गया।

उक्त के आलोक में श्री सिकदार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये विभागीय पत्रांक–98/सी दिनांक–15.03.2017 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री सिकदार से बचाव का लिखित अभिकथन अप्राप्त होने की स्थिति में विचारोपरांत उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–179/सी दिनांक–02.05.2017 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। तदोपरांत विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा मामले में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसके अनुसार श्री वरूण कुमार सिकदार, तत्कालीन वाणिज्य–कर उपायुक्त, बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ के विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा रू0 44,16,163.00/– की आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का आरोप लगाया गया, परन्तु श्री वरूण कुमार सिकदार द्वारा दिये गये साक्ष्यों के आधार पर गणना करने के उपरान्त कुल रू0 15,30,539.00/– का आय से अधिक सम्पति का मामला प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिकदार के विरूद्ध रू0 44,16,163.00/– के बजाय रू0 15,30,539.00/– की आय से अधिक सम्पति का आरोप प्रमाणित पाया गया।

इसी बीच श्री सिकदार दिनांक–28.02.2021 को वार्द्धक्य सेवानिवृत हो गये जिसके कारण उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना संख्या–52/सी दिनांक–23.06.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(B) में सम्परिवर्तित की गयी।

मामले में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत श्री सिकदार से जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक–81/सी(अनु०) दिनांक–09.08.2021 द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। जिसके आलोक में श्री सिकदार द्वारा अपने पत्र दिनांक–29.11.2021 के माध्यम से अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन उपलब्ध कराया गया।

इस दरम्यान समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक–30.04.2022 के संस्करण में श्री सिकदार से संबंधित निगरानी न्यायालय का मामला प्रकाशित किया गया। उक्त समाचार रिपोर्ट के आलोक में विशेष निगरानी इकाई बिहार, पटना से श्री सिकदार के विरूद्ध दर्ज थाना कांड की अद्यतन स्थिति की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी पटना का अधिहरण वाद–02/2022–23 में दिनांक–03.06.2022 को पारित आदेश के प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार उक्त अधिहरण वाद प्राधिकृत पदाधिकारी, निगरानी, व्यवहार न्यायालय, पटना के पत्रांक–59 दिनांक–24.05.2022 के द्वारा विशेष वाद संख्या–13/2018(राज्य बनाम वरूण कुमार सिकदार एवं विनिता सिकदार) में (उद्भुत विशेष निगरानी इकाई थाना कांड सं0–02/2016) श्री सिकदार के रू0 55,66,672.73/–के चल–अचल सम्पतियों की अधिकाई अर्जन का अधिहरण की कार्रवाई की गयी।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप एवं अधिहरण वाद–02/2022–23 में की गयी अधिकाई धनार्जन का अधिहरण की कार्रवाई के संदर्भ में श्री सिकदार के पेंशन से कितनी राशि की कटौती की जाय तथा उपदान एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान के स्वीकृति के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गयी। प्राप्त परामर्श के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा पाये गये आरोप के समानुपातिक दंड स्वरूप श्री वरूण कुमार सिकदार के लिखित अभ्यावेदन/निवेदन से असहमत होते हुये बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(B) के अंतर्गत उनके स्वीकृत औपबंधिक पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से किये जाने एवं उनके पूर्ण उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का दंड विनिश्चित किया गया। विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–07/सी(अनु0) दिनांक–09.01.2026 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक–5220/लो0से0आ0 दिनांक–30.03.2026 द्वारा श्री सिकदार के विरूद्ध ''पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की कटौती स्थायी रूप से किये जाने एवं उनके पूर्ण उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक'' लगाये जाने संबंधी दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री वरूण कुमार सिकदार, तत्कालीन वाणिज्य–कर उपायुक्त, बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ सम्प्रति सेवानिवृत राज्य–कर संयुक्त आयुक्त के विरूद्ध उनके पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की कटौती स्थायी रूप से किये जाने एवं उनके पूर्ण उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(नीतू सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–कौन/भी–301/2016– 133/स्री   पटना, दिनांक– 6.5.26

प्रतिलिपिः– माननीय उपमुख्यमंत्री(वाणिज्य–कर विभाग), बिहार, पटना के आप्त सचिव/राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (ले0 एवं हक0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट

कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी०डी० सहित दो प्रतियों में (आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से)/राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, राजपत्रित स्थापना शाखा/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री वरूण कुमार सिकदार, सेवानिवृत राज्य–कर संयुक्त आयुक्त पता–सुगंध विला–2ए, रोड नं0–10बी, राजेन्द्र नगर, थाना–कदमकुआँ, पटना पिन–800016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.05.26

सरकार के अवर सचिव।